

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)  
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/ 124

दायर दिनांक 13/7/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट  
उनवान - कन्हैयालाल पिता धन्नालाल मेहर नि० बोरखेडी तहसील पिड़ावा  
बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज०

-: आदेश :- दिनांक 13/7/2023

प्रार्थी कन्हैयालाल पिता धन्नालाल मेहर नि० बोरखेडी तहसील पिड़ावा के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोरखेडी पटवार मण्डल बोरखेडी तहसील पिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत 207-76 मे खाता संख्या 162 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी की जाति) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम/ पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम बोरखेडी पटवार मण्डल बोरखेडी तहसील पिड़ावा	162	कन्हैयालाल पुत्र धन्नालाल मेघवाल नि० बोरखेडी	कन्हैयालाल पुत्र धन्नालाल मेहर नि० बोरखेडी

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 124

प्रतिलिपी निम्न को पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज०)  
दिनांक 13/7/23

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज०)

